न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 120/2025 G.C.M.S. No. 2025/819 दर्ज दिनांक : 14.08.2025

अपीलार्थी:

1. गंगा सिंघल पत्नि मोहन सिंघल, जाति मेगवाल, निवासी बाली, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2020 बअनवान सरकार बनाम गंगा सिंघल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 15.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2020 बअनवान सरकार बनाम गंगा सिंघल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 96 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम मौजा ग्राम–सिन्दरू, तहसील सुमेरपुर में कृषि भूमि स्थित है जिस कृषि भूमि की एकमात्र काबिज खातेदार अपीलाण्ट थीं, आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करती हैं। जो वर्तमान में अपीलाण्ट द्वारा फसल बुवाई हेतु मौके पर खड़ाई कर रखी है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 एवम् खसरा नक्शे की की नकलें प्रमाणित एवम् खसरा गिरदावरी संवत् 2023 से 2025 की नकलें प्रमाणित तथा मौके के फोटोग्राफ्स असल साथ पेश है। अपीलाण्ट की उपरोक्त कब्जा–काश्तसुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 96 रकबा 0.7200 हैक्टेयर निस्बत् कानून की मंशा के खिलाफ धारा 177 आर.टी.ए. 1955 के तहत रेस्पोडेण्ट की ओर से विरूद्ध अपीलाण्ट ने एक वाद पेश किया जिस वाद रेस्पोंडेण्ट को अदालत मातेहत द्वारा खिलाफ कानून दर्ज करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना वो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनदेखा करते हुये उक्त वाद में धारा 177 आर.टी.ए. 1955 की मंशानुसार अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोंडेण्ट की ओर से कोई अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया एवम् न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट को धारा 177 आर.टी.ए. 1955 के तहत नोटिस जारी कर फैसला वो डिक्री जैर अपील में वर्णित आराजी से बेदखल क्यों न कर दिया जाये, कारण बताने का आदेश होगा निस्बत् अपीलाण्ट को अदालत मातेहत से कोई नोटिस जारी नहीं किया एवम् अपीलाण्ट को बिना जवाब साक्ष्य सबूत का अवसर दिये एवम् न ही बेदखली किये जाने के दायित्व का विरोध किया जाने निस्बत् नोटिस धारा 177 आर.टी.ए. 1955 के अधीन प्रारूप 60 अनुसार अपीलाण्ट को नोटिस दिये अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से कानूनी प्रावधानों की मंशा के खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 बहक रेस्पोडेण्ट खिलाफ अपीलाण्ट सादिर करने में कानूनी वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेण्ट की ओर से दिनांक 24.02.2020 को पेश वाद में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में अकृषि कार्य किये जाने निस्बत् किसी कदर की कोई दस्तवोजी या मौखिक साक्ष्य रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश नहीं की एवम् न ही ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर है एवम् पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया बाबत् वाद रेस्पोडेण्ट में कोई उल्लेख तारीख अंकित नहीं है उसके बावजूद अदालत मातेहत द्वारा खिलाफ कानून वाद दर्ज होने के बाद देरिना करीब 04 वर्ष पश्चात् अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अदालत मातेहत द्वारा प्रकरण में बिना रिपोर्ट तलब किये अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि की बजाय दीगर भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2024 को आधार मानकर उक्त रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाते हुये अपीलाण्ट को बिना जिरह का अवसर दिये आधारहीन एवम् विधि विरूद्ध अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार दीगर खसरे की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2024 के आधार पर अदालत मातहत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अदालत मातहत की पत्रावली में विधिनुसार बिना तनकियात् कायम किये एवम् रेस्पोंडेण्ट की ओर से अदालत मातहत के समक्ष पेश गवाह से बिना अपीलाण्ट को जिरह का अवसर दिये एवम् बिना अपीलाण्ट को गवाह का अवसर दिये अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध तलब मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुये अदालत मातहत द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अदालत मातहत द्वारा सादिर निर्णय व डिक्री जैर अपील मौका रिपोर्ट दिनांक 28.11.2019, 13.02.2024, 14.05.2025 पर आधारित है। परन्तु उक्त तीनों मौका रिपोर्ट अदालत मातहत द्वारा तलब नहीं की गयी हैं। जो पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट रोशन वो साबित है एवम् न ही उक्त मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि खसरा नम्बर 96 निरबत है, बल्कि अपीलाण्ट के अलावा दीगर भूमि की है। जिससे अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध पेश उक्त मौका रिपोर्ट पर आधारित अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट खातेदार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2025 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात सिवायचक घोषित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हलका पटवारी द्वारा तहसीलदार को वादग्रस्त आराजीयात का मौका देखने एवं मौके पर डामर प्लांट मशीन लगी होने तथा सीमेंट, ईंटें व कंक्रीट पड़ी होने व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोग होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट खातेदार के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब करने व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित करते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। प्रकरण में वादी की ओर से वादी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं कर संबंधित भू.अ.नि. एवं पटवारी द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी साक्ष्य से अधिवक्ता प्रतिवादी की जिरह करवाए बिना एवं वादी साक्ष्य पूर्ण व बंद किए बिना प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिए बिना प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। प्रकरण में वादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाए गए। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खण्डन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के प्रावधानानुसार प्रार्थना पत्र को वादपत्र के रूप में ग्रहण करते हुए वादपत्रों के निर्णयन के लिए अपेक्षित प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुसरण करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से आज्ञापक होता है। हस्तगत प्रकरण में वादी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा न तो स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न ही साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची प्रस्तुत की गई तथा न ही साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत व प्रदर्श करवाए गए। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16, 18 व 19 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादपत्र में साक्ष्य के स्तर पर क्रमशः उभयपक्षकारान द्वारा साक्षियों की सूची, साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात की सूची एवं साक्षियों का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा गवाह से प्रतिपक्ष अधिवक्ता द्वारा जिरह की जाएगी एवं साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेजात को प्रदर्श करवाए जाएंगे। हस्तगत प्रकरण में आदेश 16, 18 व 19 में उल्लेखित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1989 AIR (SC) 1141 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Evidence Act, 1872 – Section 138 – In the absence of cross – examination, examination – In – chief not to be relied – party not making himself available for cross, examination despite orders from court, to rely on his examination, in chief held not safe.

अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. धारा 178 (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आसामी को समस्त भूमि क्षेत्र से या उसके किसी भाग से बेदखल करने का निर्देश दे सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त संपूर्ण आराजीयात का अकृषि उपयोग किए जाने का कोई उज्र नहीं लिया है एवं न ही पटवारी रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफ्स के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा संपूर्ण आराजीयात को सिवायचक घोषित किया गया है। जो धारा 178 (1) के प्रावधानों के विपरीत है। इसी प्रकार धारा 178 (2) में यह आज्ञापक प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा काश्तकार को भूमि की मूल स्थिति बहाल करने के लिए अवसर देगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2020 बअनवान सरकार बनाम गंगा सिंघल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) एवं संगत संपरिवर्तन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 व 3 के विवेचन अनुसार एवं आदेश 16, 18, 19 व 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये पैरोकार पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 16.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलक्टर पाली एवं तहसीलदार सुमेरपुर को प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner